| |
|---|
| दिनांक 08.09.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 467/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>एसटीएफ–जनपद बुलन्दशहर से रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी अंकुर उर्फ प्रवीण, जनपद बुलन्दशहर, उ0प्र0 से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 07–09–2026 को एसटीएफ उ0प्र0 को मु0अ0सं0 484/2025 धारा 111/310(2)/317(3) बीएनएस थाना अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर में वांछित एवं फरार रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अपराधी अंकुर उर्फ प्रवीण पुत्र हरवीर उर्फ हमवीर को जनपद बुलन्दशहर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>अभियुक्त का विवरणः–</u>

अंकुर उर्फ प्रवीण पुत्र हरवीर उर्फ हमवीर निवासी ग्राम नंगला लच्छी, थाना बलरई, जनपद इटावा।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–</u>

दिनांक 07–09–2026, समयः 21.40 बजे, स्थानः अलीगढ रोड, कोर्ट तिराहा, थानाक्षेत्र अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण मे एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार एसटीएफ फील्ड इकाई, नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 07–09–2026 को एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर के मुकदमा उपरोक्त में वांछित रू0 50 हजार का ईनामी अंकुर उर्फ प्रवीण पुत्र हरवीर उर्फ हमवीर निवासी उपरोक्त बुलन्दशहर में अलीगढ रोड पर मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त अंकुर उर्फ प्रवीण उपरोक्त को अलीगढ रोड, कोर्ट तिराहा थाना क्षेत्र अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर से लगभग 21.40 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर उर्फ प्रवीण ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 31 वर्ष है तथा वह 10वीं तक पढ़ा है। इसके पिता मजदूरी करते हैं। इसके द्वारा कुछ समय नोएडा में संविदा पर बिजली विभाग में नौकरी की गयी। इसी दौरान इसकी मुलाकात अपने पड़ोस के गांव झोला के दीपक से हुई और उसके कहने पर ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इनके द्वारा वर्ष 2018 में अपने गांव नंगला लच्छी के ही सोनू उर्फ शिवांश के अपहरण की योजना बनाई और एक अन्य व्यक्ति जोगेन्द्र को भी साथ लेकर 08 वर्षीय बच्चे सोनू उर्फ शिवांश का अपहरण कर उसके घर वालों से 25 लाख रूपये की फिरौती मांगी गयी, किन्तु बच्चे के द्वारा दीपक को पहचान लेने के कारण इनके

द्वारा उस 08 वर्षीय बच्चे की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसमें अंकुर उर्फ प्रवीण लगभग 04 वर्ष जेल में रहा। जेल से छूटने के बाद अंकुर पुनः नोएडा आ गया तथा Luxer कम्पनी फेस–2 में नौकरी करने लगा। अंकुर उर्फ प्रवीण वर्ष 2023 में झगडे एवं फायरिंग के प्रकरण में जनपद इटावा से जेल गया। इसके उपरान्त थाना फेस–2, नोएडा पलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में पकडे जाने पर जेल गया।

इसके उपरान्त वर्ष 2025 में अभियुक्त अंकुर की मुलाकात कानपुर निवासी पीयूष से हुई, जिसके द्वारा इसकी मुलाकात बुलन्दशहर निवासी रिंकू यादव व अलीगढ निवासी राजा यादव से करायी, जिनके द्वारा पीयूष के कहने पर उसके चाचा राजू कटियार के घर लूट की योजना बनायी तथा इन चारों ने राजू कटियार के घर में घुसकर तमंचे के बल पर लूटपाट कर नगदी व जेवरात लूट लिये। इस घटना में भी पुलिस द्वारा इन चारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जेल से छूटने के बाद अभियुक्त अंकुर उर्फ प्रवीण व राजा यादव पुनः सम्पर्क में आये तथा इनके द्वारा संजय निवासी ग्राम एनछोरा तथा अलीगढ निवासी सचिन व छोटे के साथ मिलकर पुनः कुछ बड़ा हाथ मारने की योजना बनाई, जिस पर संजय ने बताया कि वह` अनूपशहर, बुलन्दशहर में जिनके यहां काम करता है, उनके यहाँ काफी पैसा है। इस पर इनके द्वारा दिनांक 19–12–2025 को अनूपशहर, बुलन्दशहर में संजय द्वारा बताये गये मकान में इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी बनकर घुसकर लूटपाट को अंजाम दिया तथा लाखों की नकदी व जेवर लेकर फरार हो गये। इस घटना के सम्बन्ध में थाना अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 484/2025 धारा 111/310(2)/317(3) बीएनएस पंजीकृत हुआ, जिसमें शेष सभी अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था तथा अंकुर उर्फ प्रवीण तभी से निरन्तर फरार व वांछित चल रहा था तथा अपनी गिरफ्तारी के डर से लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था तथा अलग–अलग स्थानों पर छिपकर रह रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ के द्वारा रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया। अभियुक्त अंकुर उर्फ प्रवीण उपरोक्त की अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त अंकुर उर्फ प्रवीण उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

| क0सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | नाम थाना | जनपद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 433/18 | 364A,302,201 IPC | जसवंत नगर | इटावा |
| 2 | 36/23 | 147,148,419,452,504,506 IPC | जसवंत नगर | इटावा |
| 3 | 38/23 | 25/27/30 A.ACT | जसवंत नगर | इटावा |
| 4 | 38/24 | 4/25 A.ACT | फेस–2 | गौतमबुद्धनगर |
| 5 | 173/25 | 111(2) BNS & 3/25 A.ACT | बिल्हौर | कानपुर नगर |
| 6 | 484/25 | 111(2)BNS | अनूपषहर | बुलन्दषहर |

गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर उर्फ प्रवीण उपरोक्त को थाना अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर के मु0अ0सं0 484/25 धारा 111(2) बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

## जनपद रायबरेली/थाना कोतवाली नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **06 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 08.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईटीआई ग्राउण्ड गोरा बाजार के पास से 03 अभियुक्तों 1–अशरफ उर्फ बग्गड़ 2–दीपक 3–इकराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 06 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14/15.07.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त अशरफ उर्फ बग्गड़ शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–अशरफ उर्फ बग्गड़ निवासी इन्दिरा गार्डन महानंदपुर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

2–दीपक निवासी राजकीय कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

3–इकराम निवासी गल्लामण्डी थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

**बरामदगी**

1–लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–06 हजार रूपये नगद आदि।

**<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बादलपुर</u>**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 14 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 08.09.2026 को थाना बादलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 6 प्रतिशत आबादी के पास से 02 अभियुक्तों 1–सैफअली 2–शादाब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 14 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बादलपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–सैफअली निवासी ग्राम प्यावली थाना जारचा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–शादाब निवासी चाँद मोहल्ला थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

**<u>बरामदगी</u>**

1–चोरी की 14 दो पहिया वाहन आदि।

**<u>जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा</u>**

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 51 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2026 को थाना रूपईडीहा व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिलर संख्या 651/2 के पास से अभियुक्त चांद बाबू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 51 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–चांद बाबू निवासी ग्राम चितवन मोहल्ला थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच।

**बरामदगी**

1–लगभग 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 51 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

**जनपद देवरिया/थाना कोतवाली**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **310 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 08.09.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–तैय्यब 2–सुशील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 310 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–तैय्यब निवासी पैना थाना बरहज जनपद देवरिया।

2–सुशील निवासी अहलादपुर कर्मरी थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया।

**बरामदगी**

1–310 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 ट्रक।

➢ **जनपद सीतापुर/थाना कमलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना कमलापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एन/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मतोले को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गाजीपुर/थाना सैदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गाजीपुर द्वारा थाना सैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————